न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रतन सिंह बनाम लक्ष्मण सिंह वगै

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दावा मु नं – /30/2020

तकास्मा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढ़ाणी में आयोजित कैम्प के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

24/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–बुर्जा की ढ़ाणी

03.12.2021

वकील वादीगण श्री भारत भूषण एडवोकेट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व आदेश 47 सीपीसी का पेश करने पर पत्रावली फैसलशुदा रिकार्ड से तलब होकर आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत ... में पेश हुई। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व आदेश 47 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि मैं उनवानी दावा रतनसिंह वगै0 बनाम लक्ष्मणसिंह वगै0 पेश करते समय खसरा नम्बर 7597 रकबा 3.70 हैक्टर में से उत्तरी दिशा की भूमि रकबा 1.50 हैक्टर का वादीगण को एंव शेष भूमि 2.20 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने की इस्तदुआ दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु टाइपिंग अशुद्धि से रकबा 2.20 हैक्टर के स्थान पर 1.70 हैक्टर गलती से दर्ज हो गया। न्यायालय द्वारा पी0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रतन सिंह बनाम लक्ष्मण सिंह वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	डी० की पालना में जो रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई गई थी उसमे भी उक्त रकबा 2.20 के स्थान पर 1.70 हैक्टर का रकबा दर्ज किया हुआ है। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्णय उनवानी दावा रतनसिंह वगै० बनाम लक्ष्मण सिंह वगै० मु. सं. 130/2020 निर्णय दिनांक 24.11.2021 में पी०डी० प्रस्ताव के साथ भूमि खसरा नम्बर 7597 में से जो रकबा 1.70 हैक्टर प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के नाम दर्ज होना है के स्थान पर 2.20 हैक्टर दर्ज किये जाने की हद तक संशोधन फरमाये जाने का निवेदन प्रार्थना पत्र में किया है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्र वकील वादीगण को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी व प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।
	अतः वकील वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व आदेश 47 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.2021 को जारी निर्णय में प्राप्त पी०डी० प्रस्ताव में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 7597 में से रकबा 1.70 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के नाम दर्ज होने वाली भूमि का रकबा 1.70 हैक्टर के स्थान पर 2.20 हैक्टर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है अर्थात खसरा नम्बर 7597 रकबा 3.70 हैक्टर में से 1.50 हैक्टर का वादीगण को व 2.20 हैक्टर का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील पुनः दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

03/12/21
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प - फुटाला

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टटेक श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
130/2020	2020/225	22.12.2020	24.11.2021 अन्तिम डिक्री

उनवान

1. रतनसिंह पुत्र रिछपाल सिंह
2. समुद्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
3. महावीर सिंह पुत्र मदनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह मृत्तक के बजाय

1/1 रिसाल कंवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि श्यामसिंह

1/2 हंसा कंवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि अर्जूनसिंह

जाति राजपूत निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल आबाद लाम्बा तहसील कुचामनसिटी, जिला नागौर, राजस्थान

1/3 रेखा कॅवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि दलीपसिंह

1/4 विष्णु कंवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि सम्पतसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल आबाद लूणियावास तहसील डेगाना।

1/5 हेमेन्द्र सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

2. ज्ञानसिंह पुत्र रामकुंवार सिंह जाति राजपूत निवासी हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर
3. सुप्यार कंवर पुत्री रामकुंवारसिंह जाति राजपूत निवासी हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी गुलाबसिंहजी का रावला मुण्डोता राबरियद नागौर
4. श्रीमती सोनपति कंवर पत्नि रामसिंह
5. पूरणसिंह पुत्र रामसिंह
6. छीतर सिंह पुत्र रामसिंह
7. दातारसिंह पुत्र रामसिंह
8. श्रीमती धनकंवर पत्नि जयसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

9. भवानीसिंह पुत्र जयसिंह

10. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नि नरपतसिंह

11. अभिषेक सिंह पुत्र नरपतसिंह

12. अंशुमानसिंह पुत्र नरपत सिंह

13. पूजा कंवर पुत्री नरपतसिंह

14. मनीषा कंवर पुत्री नरपतसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

कुल 35 प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री भारत भूषण, वादीगण अभिभाषक।

<u>वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 6654, 6658, 6662 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7600 हैक्टर तन् ग्राम हरीपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एंव मृत्तका मोहन कंवर पत्नि रामकुंवार सिंह एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पति–पिता स्व0 रामसिंह पुत्र विजयसिंह एंव प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पति–पिता–दादा–ससुर स्व0 जयसिंह पुत्र विजयसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है एंव भूमि खसरा नम्बर 6490 से 6495, 6646, 6647, 7596/7856, 7597 कुल किता 10 कुल रकबा 11.00 हैक्टर अवस्थित ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसके खातेदार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 15 ता 17 के पिता–ससुर स्व0 भागीरथ सिंह पुत्र सांवत सिंह एंव वादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 6275,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

6277, 62478, 6279, 6280, 6281 कुल किता 6 कुल रकबा 2.9600 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एंव मृत्तका मोहन कंवर पत्नि रामकुमार सिंह एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पति–पिता स्व0 रामसिंह पुत्र विजयसिंह एंव वादीगण संख्या 1 ता 3 एंव प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 के पिता–ससुर स्व0 भागीरथ सिंह पुत्र सांवतसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 6082, 6637, 6640 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0500 हैक्टर तन् ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं. 18 के पिता अमर सिंह पुत्र रामदेव सिंह एंव प्रतिवादी सं. 25 ता 29 व प्रतिवादी सं. 8 ता 14 के पति–पिता–दादा–ससुर स्व0 जय सिंह पुत्र विजय सिंह व प्रतिवादी सं. 19 ता 24 एंव प्रतिवादी सं. 15 ता 17 के पिता व ससुर स्व0 भागीरथ सिंह पुत्र सांवल सिंह व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व मृत्तका मोहन कवंर पत्नि रामकुवांरसिंह एंव प्रतिवादी सं. 4 ता 7 के पति–पिता स्व0 रामसिंह व वादीगण के नाम दर्ज चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074 – 2077 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 33 आपस में एक ही परिवार खानदान से है जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। उक्त समस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रिक मौरूसी भूमियॉ है। जिनका पक्षकारान् ने मौके पर पारिवारिक सैटलमेन्ट बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा अनुसार ग्राम हरिपुरा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6654 रकबा 0.3300 हैक्टर वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई व खसरा नम्बर 6658 रकबा 0.2900 हैक्टर व 6662 रकबा 0.1400 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 6490 से 6495, 6646 प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्से व कब्जा काश्त में आई हुई है। खसरा नम्बर 6647, 7596/7856 सम्पूर्ण वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में व खसरा नम्बर 7597 रकबा 3.700 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

में से उत्तरी दिशा 1.5000 हैक्टर वादीगण के एंव शेष 1.7000 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 6275, 6277 से 6281 कुल किता 6 कुल रकबा 2.96 हैक्टर सम्पूर्ण वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में एंव खसरा नम्बर 6082, 6637, 6640 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0500 हैक्टर में से 6082 रकबा 0.3400 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 18 ता 33 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में एंव खसरा नम्बर 6637 रकबा 0.2400 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में एंव खसरा नम्बर 6640 रकबा 0.4700 हैक्टर वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई है एंव इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने व प्रतिवादीगण को वादीगण की हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों में मजाहमत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा किया गया है। उक्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्तानुसार पारिवारिक सैटिलमेंट बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार आपसी विभाजन किया जाकर मौके पर अलग–अलग सींव नींव कायम कर बंटवारा किया जा चुका है परन्तु कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमियों का कानूनी रूप से विधिक विभाजन किये जाने हेतु वाद वास्ते ईस्तकरार हक, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिभाषक वादीगण ने निवेदन किया कि वादपत्र पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 उक्त आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादपत्र में वर्णित आराजीयात् का उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण [illegible] हक व हिस्से अनुसार आई भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] उसी अनुसार बंटवारा कराए जाने की प्राथमिक डिक्री प्रदान कराई जाकर उ[illegible] अनुसार विवादित आराजीयात का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

फर्द बंटवारा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय एवं डिक्री प्रदान कराये जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1/1 से 1/5 की ओर से श्री नरेश कुमार शर्मा एड0 ने एंव प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4, 8 ता 17, 21 ता 24, 26, 28, 29, 33 की ओर से श्री मुकेश कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर अपनी सहमति प्रदान की है एंव प्रतिवादी संख्या 2, 5 से 7, 9 से 12, 18 से 20, 25, 27, 30 से 32 की ओर से वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया है। प्रतिवादी सं. 34, 35 का सम्मन नोटिस असालतन तामिल हो जाने के बावजूद आज दिवस तक उपस्थित हाजिर नहीं आने से दिनांक 26.08.2021 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रतिवादीगणों के द्वारा वादीगण के पक्ष में ईकबाली जवाब दावा व राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 34, 35 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात् बहस सुनने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 06.09.2021 को प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के पत्रांकः राम/ न्याया/ स्था/ प–51/ 2008/ विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 3909/भू.अ./2021 दिनांक 03.11.2021 के द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से पक्षकारान् ने अपनी सहमति व्यक्त की। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण व पक्षकारान् ने प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत – बुर्जा की ढ़ाणी में लोक अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की भावना से आज ही बहस सुनी जाकर अन्तिम निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण, व प्रतिवादीगण रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस आधार पर वादीगण राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88 उद्घोषणा एंव धारा 53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने तथा अपने कब्जे काश्त अनुसार कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को राजस्व ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 6654 रकबा 0.3300 हैक्टर में वादीगण को व खसरा नम्बर 6658 रकबा 0.2900 हैक्टर व 6662 रकबा 0.1400 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को, कृषि भूमि खसरा नम्बर 6490 से 6495, 6646 प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 को व खसरा नम्बर 6647, 7596/7856 सम्पूर्ण वादीगण को व खसरा नम्बर 7597 रकबा 3.700 हैक्टर में से उत्तरी दिशा 1.5000 हैक्टर वादीगण को एंव शेष 1.7000 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 को एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 6275, 6277 से 6281 कुल किता 6 कुल रकबा 2.96 हैक्टर सम्पूर्ण वादीगण को एंव खसरा नम्बर 6082, 6637, 6640 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0500 हैक्टर में से 6082 रकबा 0.3400 [illegible] प्रतिवादी संख्या 18 ता 33 को एंव खसरा नम्बर 6637 रकबा 0.2400 [illegible] ता 17 को एंव खसरा नम्बर 6640 रकबा 0.4700 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तथा उक्त खसरा नम्बरान् से एक–दूसरे का नाम हजफ किये जाने तथा इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ता 33 के मध्य बाह्मी बंटवारा अनुसार विधिक विभाजन किया जाकर पृथक – पृथक खाते कायम किये जाने हेतु वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.11.2021 के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से वकील वादीगण व वादीगण पक्षकारान् ने अपनी सहमति प्रकट की है।

अतः ऐसी स्थिति में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 33 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 33 के नाम दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2021/3909 दिनांक 03.11.2021 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 33 के नाम पृथक–पृथक दर्ज किये जाने एंव लगान फाटनी किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– बुर्जा की ढ़ाणी

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत कैम्प– बुर्जा की ढाणी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

24/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– बुर्जा की ढाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.09 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested